भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

लोक उद्यम विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4143

दिनांक 27 मार्च, 2023 को उत्तर देने के लिए

पीएसयू का पुनरूद्धार

4143. श्री गिरीश भालचन्द्र बापट:
श्री राहुल रमेश शेवाले:
श्री अजय निषाद:
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:
श्री दिनेश लाल यादव 'निरहुआ':
श्री चंद्र शेखर साहू:
श्री कृपाल बालाजी तुमाने:
श्रीमती भावना गवली (पाटील):

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) का महाराष्ट्र सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार देश में उच्च मूल्य वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के खराब प्रदर्शन से अवगत है और यदि हां, तो विगत आठ वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इन सार्वजनिक उपक्रमों को हुई हानि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश में रूग्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कायाकल्प/पुनरूद्धार के लिए कोई नीतिगत उपाय करने का विचार है और यदि हां, तो देश में विशेषकर महाराष्ट्र में ऐसे रूग्ण पीएसयू के कायाकल्प/पुररूद्धार पर होने वाले अनुमानित व्यय सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरूद्धार के लिए राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति, 2016 के अनुसार आवंटन करने का विचार है और यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का जनसाधारण को रोजगार प्रदान करने के लिए देश में और अधिक पीएसयू की स्थापना करने का विचार है और यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(डॉ. भागवत किशनराव कराड)

(क): उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिनांक 31.3.2022 की स्थिति के अनुसार, देश में 248 प्रचालनरत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसईज़) हैं जिनमें से 28 सीपीएसईज़ के पंजीकृत कार्यालय महाराष्ट्र राज्य में हैं। अधिकांश सीपीएसईज़ अपने पंजीकृत कार्यालय के स्थान से बाहर परिचालन करते हैं।

(ख): घाटे में चल रहे सीपीएसईज़ का ब्यौरा निम्नानुसार है:

पीई सर्वेक्षण	सीपीएसईज़ की संख्या	घाटे की कुल राशि (रूपये करोड़ में)
2014-15	76	-27497.80
2015-16	79	-30755.74
2016-17	81	-27494.42
2017-18	72	-32180.11
2018-19	69	-31616.54
2019-20	84	-44239.34
2020-21	76	-31784.01
2021-22	59	-14586.20

(ग और घ): संबंधित बोर्डों और संबद्ध सीपीएसईज़ के क्षेत्राधिकार वाले प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा इनके टर्नअराउंड के लिए उद्यम विशिष्ट उपाय किए जाते हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, व्यवसाय पुनर्गठन, संयुक्त उद्यमों का गठन, आधुनिकीकरण और उन्नत विपणन कार्यनीतियां आदि शामिल हैं। सरकार ने फरवरी, 2021 में नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (पीएसई) नीति को भी अधिसूचित किया है, जिसके अनुसार सीपीएसईज़ को विशेष मानदंडों के आधार पर रणनीतिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए, सीपीएसईज़ को केवल नई पीएसई नीति के प्रावधानों के अनुसार ही कार्य करना होता है।

(ङ): केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसईज़) संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। नए सीपीएसईज़ की स्थापना संबंधी कोई भी निर्णय सेक्टोरल लाईन मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवश्यकताओं और वाणिज्यिक व्यवहार्यता तथा सरकार की किसी मौजूदा नीति को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है। सीपीएसईज़ में रोजगार सृजन मौजूदा व्यावसायिक स्थितियों और आवश्यकताओं पर निर्भर करता है, साथ ही भविष्य के परिचालन, विस्तार/निवेश योजना, सेवानिवृत्ति आदि जैसे अन्य कारकों को भी ध्यान में रखा जाता है।

*****